



Neutral Citation No.- 2026:AHC:129234

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 21687 वर्ष 2026

सहदेव सिंह

.....आवेदक

बनाम

उ०प्र० राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: राजीव तिवारी

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या.- 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक द्वारा दाखिल किए गए पूरक शपथ पत्र को पत्रावली पर ग्रहण किया जाता है।
2. हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव तिवारी और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री राजीव धर द्विवेदी की बात जमानत आवेदन पत्र सुनी।
3. यह जमानत आवेदन पत्र मुकदमा अपराध संख्या 40/2026 में धारा 190, 191(2), 191(3), 109(1), 3(5) बी.एन.एस, पुलिस स्टेशन बेला, जिला औरैया में विचारण के लंबित रहने के दौरान, जमानत पर निरमुक्त करने की मांग करते हुए दाखिल की गई है।
4. हालांकि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निवेदन किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में पांच अन्य लोगों के साथ दर्ज है और आरोप के अनुसार आवेदक और अन्य लोगों द्वारा किए गए हमले के कारण तीन व्यक्तियों को गोली लगने से चोटें आईं, लेकिन घायल व्यक्तियों के बयानों से, जिन्हें इस जमानत आवेदन के साथ संलग्न किया गया है, यह पता चलता है कि सह-अभियुक्त सम्राट ने उन्हें गोली लगने से घायल किया था।
5. उन्होंने अग्रेतर निवेदन किया कि सह-अभियुक्त ब्रह्मदेव उर्फ नान्हे को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत पर निरमुक्त कर दिया गया है और उनका जमानत आदेश पेपर-बुक के पृष्ठ-68 पर संलग्न है और आवेदक का मामला उनके समान है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. उन्होंने अग्रेतर निवेदन किया कि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का दो अन्य मामलों में भी आपराधिक इतिहास है, लेकिन उनके आपराधिक इतिहास को इस जमानत आवेदन में स्पष्ट किया गया है और दोनों मामले मामूली अपराध से संबंधित हैं।
7. उन्होंने अग्रेतर निवेदन किया कि इस मामले में आवेदक 31.03.2026 से जेल में है।
8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।
9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदन को सुन लिया है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।
10. हालांकि, आरोप के अनुसार, आवेदक और अन्य लोगों द्वारा चलाई गई गोलीबारी के कारण तीन व्यक्ति घायल हो गए, लेकिन घायल व्यक्तियों के बयानों से पता चलता है कि उन्होंने गोलीबारी से घायल करने का आरोप सह-अभियुक्त सम्राट पर लगाया है।
11. अग्रेतर, आवेदक के साथ सह-अभियुक्त ब्रह्मदेव उर्फ नन्हे को भी अभियुक्त बनाया गया है और उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया है और आवेदक का मामला उसके समान है।
12. अग्रेतर, वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का दो अन्य मामलों में भी आपराधिक इतिहास है, लेकिन उसके आपराधिक इतिहास को इस जमानत आवेदन में स्पष्ट किया गया है और दोनों मामले मामूली अपराधों से संबंधित हैं।
13. अग्रेतर, वर्तमान मामले में आवेदक 31.03.2026 से जेल में है।
14. अतः, उपरोक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर निर्मुक्त होने की हकदार है।
15. तदनुसार, मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
16. आवेदक सहदेव सिंह को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-



(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

17. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन पत्र के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे की सुनवाई के दौरान मामले की गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

25 जून, 2026

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

ए के पांडे